न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 01/2022 . (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. प्रकाश चन्द सोनी पुत्र श्री नन्द किशोर सोनी **(ऋणी)**
   पता– 34, मोहल्ला नगर, मिसई, उर्फ गुमानपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान–325216
2. श्रीमति मुन्नी बाई पत्नी स्व0 श्री नन्दकिशोर **(सह–ऋणी बंधककर्ता)**
   पता– मोहल्ला नगर, मिसई, उर्फ गुमानपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान–325216
   दूसरा पताः– पट्टा नं0 46, संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत रानी बड़ौद, तहसील किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)
3. श्री लक्ष्मण लाल नागर पुत्र बजरंग लाल नागर **(जमानती)**
   पताः–मिसई, उर्फ गुमानपुरा तहसील किशनगंज

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14/2/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 10 जुलाई 2016 को 5,75,000/– रूपये (अक्षरे पांच लाख पिचहतर हजार रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री प्रकाश चन्द सोनी पुत्र श्री नन्दकिशोर सोनी की आवासीय [illegible] पट्टा नं0 46, संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत रानी बड़ौद, तहसील किशनगंज जिला बारां की सम्पत्ति जिसका माप 700 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में आम रास्ता, [illegible] सोनी का मकान, उत्तर में कस्तुरचंद सोनी का मकान दक्षिण में चतुर्भुज [illegible] का मकान है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी [illegible] ने नियमित रूप से प्र[illegible] उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफा[illegible] पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 6,70,364/– (अक्षरे छः लाख सत्तर हजार तीन सौ चौसठ रूपये) बकाया राशि दिनांक 21.06.2019 तक शेष देय है व दिनांक 22.06.2019 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:52 IST
Reason: SelfAttested

डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री प्रकाश चन्द सोनी पुत्र श्री नन्दकिशोर सोनी की आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं0 46, संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत रानी बड़ौद, तहसील किशनगंज जिला बारां की सम्पत्ति जिसका माप 700 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में कस्तुरचंद सोनी का मकान, उत्तर में कस्तुरचंद सोनी का मकान दक्षिण में चतुर्भुज सोनी का मकान है,,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 15/2/22........ को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.04 11:30:52 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां